



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: aaostoreadmiv@gmail.com
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2785981-AO / 2786586-CAO./ FAX: 0291 – 2788706



फाइल संख्या 11(1)2018-2019/प्रशासन चतुर्थ

दिनांक : 30.05.2018

खजूर फलों की नीलामी हेतु निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक बढ़ाने की सूचना

इस संस्थान (काजरी, जोधपुर) में खजूर फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना जो कि राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण में दिनांक 23.05.2018 में प्रकाशित है के क्रम में निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक 30.05.2018 समय अपराह्न 2.00 बजे को प्रशासनिक कारणों से दिनांक 04.06.2018 समय अपराह्न 2.00 बजे तक बढ़ाया जाता है । इस निविदा से संबंधित अन्य विवरण, नियम व शर्तें यथावत हैं तथा संस्थान की वैबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नोट : उपरोक्त विज्ञापन राजस्थान पत्रिका तथा दैनिक भास्कर अखबार जोधपुर संस्करण में दिनांक 31.05.2018 को प्रकाशित है ।



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: aaostoreadmiv@gmail.com
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2785981-AO / 2786586-CAO./ FAX: 0291 – 2788706



फाइल संख्या 11(1)2018-2019/प्रशासन चतुर्थ

दिनांक : 22.05.2018

खजूर फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर के बागवानी क्षेत्र में खजूर के 139 पेड़ हैं जिनमें खजूर फल लगे हुए हैं। इन खजूर फलों की नीलामी फलों की ग्रीष्म ऋतु (माह जून-जुलाई) वर्ष 2018 हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/पार्टी इत्यादि से मुहर बन्द निविदाएं दिनांक 30.05.2018 प्रातः 02.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है। यदि चाहें तो प्रपत्र संस्थान के कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नोट : उपरोक्त विज्ञापन राजस्थान पत्रिका तथा दैनिक भास्कर अखबार जोधपुर संस्करण में क्रमशः दिनांक 23.05.2018 एवं दिनांक 24.05.2018 को प्रकाशित है।



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: aaostoreadmiv@gmail.com
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2785981-AO / 2786586-CAO/ FAX: 0291 – 2788706



फाइल संख्या 11(1)2018-2019/प्रशासन चतुर्थ

दिनांक : 22.05.2018

खजूर फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 30.05.2018 समय प्रातः 02.00 बजे तक

(Extended last date : 04.06.2018 Time : 2.00 p.m.)

निविदा खोलने की दिनांक : 30.05.2018 समय प्रातः 02.30 बजे

(Extended date for opening of tender : 04.06.2018 Time : 2.30 p.m.)

निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । इच्छुक निविदा दाता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं ।

प्रेषक :

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ

भा.कृ.अनु.प.–के०शु०क्षे०अ०सं० (काजरी),

जोधपुर । (राज०) 342003

सेवा में

मैसर्स/ श्रीमान् _____

विषय : भा.कृ.अनु.प.–के०शु०क्षे०अ०सं०, (काजरी) जोधपुर के बागवानी क्षेत्र में खजूर के फलों की ग्रीष्म ऋतु (माह जून–जुलाई) वर्ष 2018 के लिए नीलामी हेतु निविदा ।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से के०शु०क्षे०अ०सं० (काजरी), जोधपुर के बागवानी क्षेत्र में खजूर के फलों की नीलामी ग्रीष्म ऋतु (माह जून–जुलाई) वर्ष 2018 हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ पार्टी इत्यादि से मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें सलंगन अनुसार हैं ।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 30.05.2018 समय मध्याह्न 02.00 बजे (Extended last date : 04.06.2018 Time : 2.00 p.m.) तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा डाक/कोरियर द्वारा पहुँच जानी चाहिए । निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

निविदाएँ दिनांक 30.05.2018 समय मध्याह्न 02.30 बजे (Extended date for opening of tender : 04.06.2018 Time : 2.30 p.m.) इस संस्थान की समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सामने संस्थान के सभा भवन में खोली जाएगी ।

भवदीय

सलंगन : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासकीय अधिकारी भण्डार)
वास्ते निदेशक

बागवानी क्षेत्र में खजूर के फलों की नीलामी (ग्रीष्म ऋतु माह जून-जुलाई वर्ष 2018) सामग्री की विवरणी

| क्रम संख्या | विवरण | संस्थान के बागवानी क्षेत्र में खजूर के पेड़ों की संख्या जिनमें खजूर फल लगे हैं । | निविदादाता द्वारा कोट की जाने वाली दर |
|-------------|--|--|---|
| 1. | बागवानी क्षेत्र में खजूर के फलों की नीलामी ग्रीष्म ऋतु (माह जून-जुलाई) वर्ष 2018 | 139 खजूर के पेड़. जिनमें खजूर फल लगे हैं । | अंकों में रूपये शब्दों में रूपये |

नोट : न्यूनतम सरकारी दर रूपये 1,50,000 रखी गई है । इस सरकारी न्यूनतम दर से कम कोट की जाने वाली निविदादाता फर्म/पार्टी की निविदा दर मान्य नहीं होगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक : निविदादाता/फर्म का नाम मय रबर मोहर.....

खजूर के फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें -

- धरोहर राशि उपरोक्त के लिए रूपये 5,000.00 (अक्षरे पाँच हजार) मात्र "ICAR Unit -CAZRI, Jodhpur" नाम से राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट (Demand Draft) निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
- सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कर/ जी.एस.टी. (if applicable) स्वीकृत उच्चतम सफल निविदादाता से अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा ।
- इच्छुक निविदादाता उपरोक्त खजूर के पेड़ों का निरीक्षण निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं ।
- पूर्ण रूप से भरी गई निविदा आवश्यक दस्तावेजों एवं बिड सिक्युरिटी के साथ सीलबन्ध लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है । डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर "खजूर के फलों की नीलामी के लिए निविदा" अवश्य लिखें । निविदा उसी दिन दोपहर 02.30 बजे समिति द्वारा खोली जाएगी ।
- सफल अधिकतम दर निविदा दाता /पार्टी को नीलामी के पश्चात फल की ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2018 के दौरान फल तुड़ाई संबंधित कार्य प्रातः 9.00 से दोपहर 3.00 बजे तक इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा । फलों की तुड़वाई अवधि के दौरान ही पेड़ों के बगैर नुकसान पहुँचाये फलों को तोड़कर ले जाना होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है ।
- नीलामी में पारित स्वीकृत अधिकतम राशि का आधा भाग नीलामी की बोली स्वीकृत होने के तुरन्त बाद एवं आधी राशि फलों की शुरू हो रही पहली तुड़वाई के दिन जमा कराने होंगे ।
- स्वीकृत अधिकतम सफल निविदादाता को इस संस्थान के प्रांगण में एक विक्रय स्थल रखने की वांछित सुविधा दी जाएगी ।
- इस संस्थान को अनुसन्धान और सेम्पलिंग के लिए निर्धारित 100 किलो ग्राम खजूर के अच्छे फलों की बिना मूल्य के आपूर्ति करनी होगी ।
- अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासकीय अधिकारी से ले सकते हैं ।
- सफल अधिकतम दर निविदादाता के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि को नीलामी के पश्चात पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।
- निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
- निविदादाता को इन नियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है।** नियम व शर्तों की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in से डाउन लोड की जा सकती है ।
- अन्य शर्तें नीलामी के दिन निविदा खोलने से पूर्व संस्थान की समिति द्वारा सूचित की जाएगी ।
- प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।
- नीलामी की स्वीकृत शर्तों में से किसी भी शर्त का स्वीकृत सफल अधिकतम दर ठेकेदार/पार्टी द्वारा खजूर फल की ग्रीष्म ऋतु में फल तुड़ाई कार्य के दौरान उल्लंघन किये जाने पर निदेशक को इस नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार/पार्टी द्वारा इस संस्थान में जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी ।
- ठेकेदार अथवा उसके मजदूरों द्वारा खजूर के पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी ।
- सफल अधिकतम निविदादाता / ठेकेदार/फर्म को नीलामी की उच्चतम स्वीकृत दर राशि के अलावा सिक्युरिटी राशि (ठेके की स्वीकृत उच्चतम दर राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तों की अनुपालना व खजूर फल तौलने की अवधि पूर्ण होने के 60 दिवस के पश्चात वापिस देय होगी ।
- खजूर फल तुड़ाई के लिए पेड़ हिलाये नहीं जाएंगे ।
- ठेकेदार द्वारा फल तौलने की अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण से फलों का नुकसान होने की अवस्था में संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
- नीलामी छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.- के0शु0क्षे0अ0सं0, जोधपुर को होगा ।
- खजूर फलों की तुड़ाई की अवधि फल की ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2018 के लिए नीलामी की दिनांक से 30 जुलाई, 2018 तक अथवा आदेशानुसार मान्य होगी ।
- नीलामी के सफल अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता जिसके पक्ष में नीलामी होगी के अतिरिक्त अन्य निविदादाता/फर्म/पार्टी की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।
- संस्थान के बगीचे में लगे खजूर पेड़ों की प्रत्येक पक्ति से तीन फलयुक्त पेड़ फसल संबंधी डाटा रिकार्डिंग हेतु चिह्नित किये जायेंगे । अतः इन चिह्नित प्रत्येक खजूर फलयुक्त पेड़ से फलों की तुड़ाई कार्यालय समय के दौरान संस्थान के अधिकृत स्टाफ की उपस्थिति में ही की जाएगी ।
- खजूर फलों की तुड़ाई हेतु उचित परिपक्वता चरण डॉ. आर.के. कौल, प्रधान वैज्ञानिक अथवा डॉ. अरुण सिंह, प्रधान वैज्ञानिक के निश्चित किए जाने पर ही करनी होगी ।

खजूर फलों की नीलामी की अन्य शर्तें एवं नियम –

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट-छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
2. खजूर फलों की नीलामी हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 5000/-बिड सिक्युरिटी राशि ड्राफ्ट द्वारा जो कि "ICAR UNIT- CAZRI JODHPUR" के नाम देय हो संलग्न करना होगा । बिड सिक्युरिटी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार/फर्म अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर, निविदादाता ठेकेदार/फर्म का बैंक संबंधी विवरण (RTGS) एवं पेन संख्या अवश्य लिखें तथा पेन कार्ड (PAN allotted by Income tax department) की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-के0शु0क्षे0अ0सं0,(काजरी) को होगा ।
6. खजूर फलों की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी ।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
8. खजूर फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक भा.कृ.अनु.प.-के0 शु0 क्षे0 अ0 सं0 (काजरी) का होगा ।
10. खजूर फलों की नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार को खजूर फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान खजूर फलों की नीलामी के नियम व शर्तों की अनुपालना तथा खजूर फलों की स्वीकृत राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
11. खजूर फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा इन्चार्ज, सुरक्षा अनुभाग को देनी होगी ।
12. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों ,अनुदेशों व समय-समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
13. फील्ड श्रमिक, फलों की तुड़वाई,एवं अन्य कार्यों में बाल श्रमिकों को नहीं लगाया जाएगा ।
14. काजरी परिसर में जंगली जानवरों तथा पशु पक्षियों को नुकसान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है । ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
15. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

फर्म/एजेन्सी का विवरण

1. निविदादाता फर्म/एजेन्सी के प्रोप्राईटर का नाम :
2. निविदादाता फर्म/एजेन्सी का नाम व पता : मैसर्स
.....
.....
3. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालय: निवास: मोबाइल नं.
(ब) ई.मेल पता :
4. फर्म/एजेन्सी का विवरण :
(साझेदारी डीड/संविधान यदि सोसाइटी है तो)
5. अधिकृत डीलरशीप/एजेन्सी का प्रमाणपत्र नम्बर :
6. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर :
7. फार्म उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्गत सर्विस
8. टैक्स नम्बर/GSTIN/ Form GST REG number :
issued by GOI and Govt. of Rajasthan
9. फर्म के बैंक का नाम व पता :
बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर :..... बैंक खाता नम्बर:
(सही सूचना के लिए निरस्त बैंक की छाया प्रति संलग्न करें)
10. बिड सिक्युरिटी (Earnest Money) रु. 5000/- डी0डी0 नम्बर: दिनांक:
बैंक का नाम to be drawn in favour of "ICAR Unit-CAZRI, Jodhpur".

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर मोहर
Signature of the bidder with seal

नोट : निविदा प्रपत्र को बिना कांट-छांट के साफ-सुथरा भर कर मोहर सहित हस्ताक्षर कर स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि/पंजीकृत डाक/त्वरित डाक/कोरियर डाक द्वारा देय तिथि 30.05.2018 को मध्याह्न 2.00 बजे(Extended last date for submission of tender : 04.06.2018 Time : 2.00 p.m.) से पूर्व निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम प्रशासन अनुभाग-चतुर्थ के टेन्डर बॉक्स में डालें। लिफाफे पर "खजूर के फलों की नीलामी के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा देरी से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी हेतु काजरी वेबसाइट : www.cazri.res.in देखें ।